

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)
आदेश**

क्रमांक 473 / दो-11-6 / 05

होशंगाबाद, दिनांक 19.11.19

प्रशासनिक सुविधा एवं कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के स्थानांतर एवं नवीन पदस्थापनायें निम्नानुसार की जाती हैं :-

क	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	आगामी पदस्थापना	रिमाक
1	श्री इमरान हाशमी आकस्मिक निधि वेतनभोगी कर्मचारी	मृत्य, आवासीय कार्यालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश पिपरिया	मृत्य न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो होशंगाबाद के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश होशंगाबाद	रिक्त स्थान पर
2	श्री तरुण राजपूत मृत्य	मृत्य आवासीय कार्यालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर	मृत्य, आवासीय कार्यालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश पिपरिया	श्री इमरान हाशमी के स्थान पर
3	श्री नरेन्द्र शर्मा मृत्य	मृत्य, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो इटारसी	मृत्य आवासीय कार्यालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर	श्री तरुण राजपूत के स्थान पर
4	श्री ज्वालासिंह मृत्य	मृत्य नजारत अनुभाग इटारसी	मृत्य, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो इटारसी	श्री नरेन्द्र शर्मा के स्थान पर
5	श्री विनित तिवारी मृत्य	मृत्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद	मृत्य आवासीय कार्यालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश इटारसी	नवीन पद पर
6	श्री तेजराम बमनिया मृत्य	नजारत अनुभाग होशंगाबाद	मृत्य न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो होशंगाबाद	श्री महेश कुमार शर्मा के स्थान पर
7	श्री महेश कुमार शर्मा मृत्य	मृत्य न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो होशंगाबाद	नजारत अनुभाग होशंगाबाद	श्री तेजराम बमनिया के स्थान पर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

sd
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)

पृ.क. 1541 / दो-11-6 / 05

होशंगाबाद दिनांक 19.11.19

आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

- 01- प्रमारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, होशंगाबाद / इटारसी
- 02- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया
- 03- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद
- 04- प्रथम / द्वितीय / अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, होशंगाबाद / इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित कर्मचारीगण को सूचित कर भारमुक्त करने हेतु।
- 05- श्री तरुण राजपूत, मृत्य का स्थानांतर स्वयं के निवेदन पर होने के कारण भारमुक्त होने के पश्चात् यात्रा में मान्य समय के अतिरिक्त पदग्रहणकाल एवं स्थानांतर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 06- लेखापाल / देयक लिपिक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/11/19
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद(म0प्र0)